

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *217

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 15 दिसंबर, 2025

24 अग्रहायण, 1947 (शक)

दक्षिण कन्नड़ में केंद्र संरक्षित स्मारकों का संरक्षण

***217. कैप्टन बृजेश चौटा:**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के क्षेत्राधिकार में केंद्र संरक्षित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों की कुल संख्या का ब्यौरा और प्रत्येक स्मारक की अवस्थिति और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है तथा उन्हें कब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था;

(ख) वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 तक इन स्मारकों के संरक्षण, पुनरुद्धार और रख-रखाव के लिए निधियों के आबंटन और उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान शुरू की गई प्रमुख संरक्षण और पुनरुद्धार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी वास्तविक प्रगति हुई है;

(घ) इन स्मारकों पर टिकट द्वारा प्रवेश या आगंतुकों से संबंधित अन्य प्राप्तिओं के माध्यम से एकत्र किए गए कुल राजस्व, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है और इस राजस्व का उपयोग स्थल प्रबंधन और परिरक्षण के लिए किस प्रकार किया जाता है; और

(ड.) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दक्षिण कन्नड़ में तटीय विरासत संरचनाओं की कोई संरचनात्मक अखंडता अथवा जलवायु-संवेदनशीलता का आकलन किया है और यदि हां, तो मुख्य निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दक्षिण कन्नड़ में केंद्र संरक्षित स्मारकों का संरक्षण के बारे में माननीय संसद सदस्य कैप्टन बृजेश चौडा द्वारा पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *217 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 06 प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। इन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए जाने के वर्ष के साथ इनका स्थान-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 दौरान, इनके संरक्षण, पुनरुद्धार और अनुरक्षण के लिए निधियों का आवंटन और इनके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटित/व्यय (राशि लाख रु. में)
2019-20	14.22
2020-21	10.18
2021-22	48.76
2022-23	16.90
2023-24	35.65
2024-25	21.57
2025-26	15.87
	(नवंबर, 2025 तक)

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण का कार्य, निधियों एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय संरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए, उनकी संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार करता है। इसके अतिरिक्त, संरक्षित स्मारकों और स्थलों का देखभाल और अनुरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ): कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में अवस्थित संरक्षित स्मारकों में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ड.): ऐसा कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है, तथापि नमी, वर्षा, सूर्य-ताप और अन्य जलवायु-जन्य घटकों जैसे प्राकृतिक घटकों के कारण होने वाली संरक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नियमित संरक्षण और बचाव के तरीकों के माध्यम से किया जाता है जो संरक्षित स्मारकों एवं संरक्षित स्थलों का उत्तम अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक सतत् प्रक्रिया है।

लोक सभा में दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *217 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध दक्षिण कन्नड़ जिला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों का स्थान-वार, ऐतिहासिक महत्व एवं संरक्षण के वर्ष का विवरण

1. कोटाकेरी जैनबस्ती के सामने स्थित स्तंभ, बापपनाड, 1922:- इस मानस्तंभ का निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था, जिसमें एक वर्गाकार आधार और एक चबूतरे पर बांसुरीदार शाफ्ट बनाया गया है। इस स्तंभ को कायोत्सर्ग मुद्रा में जैन तीर्थंकर की नक्काशी के साथ बारीकी से तराशा गया है। इस अधिष्ठान को पारंपरिक कुमुद साँचे के साथ गढ़ा गया है।

2. सुल्तान बाथेरी, बोलूर, 1921: ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान बाथेरी, एक निगरानी मीनार है जो टीपू सुल्तान द्वारा गुरपुर नदी में दुश्मनों के युद्धपोतों के प्रवेश को रोकने के लिए बनाया गया था। तथापि, यह एक साधारण निगरानी मीनार है, लेकिन यह एक छोटे किले की तरह दिखता है जिसके चारों ओर बंदूकें रखने के लिए कई बंदूक के छिद्र हैं।

3. मंगलादेवी मंदिर, मंगलुरु, 1921: मंगलादेवी मंदिर की उत्पत्ति निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अट्टावर के बल्लालों ने एक मंदिर का निर्माण किया था और इसमें शक्ति देवी की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ ने किया था। यहाँ अवस्थित मंदिर में एक संधार गर्भगृह है जिसकी बाहरी दीवारें अर्धमंडप द्वारा छेदी गई हैं जो दक्षिण में एक स्तंभ वाले सभामंडप में खुलती हैं। यह मंदिर परिसर एक प्राकार से घिरा हुआ है। इस गर्भगृह में सादे अधिष्ठान की साँचे और दीवारें हैं।

4. जमालाबाद किला, नाडा और लैला, 1921: वर्तमान किला को 1794 में टीपू सुल्तान द्वारा एक पुराने किले के खंडहरों पर बनाया गया था और उसने इस किले का नाम अपनी माता जमालबी के नाम पर रखा था। 1799 में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जल्द ही थिम्मनायका ने इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अंततः 1800 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। यह किला एक ऊँची ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित है। इस पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सीढ़ियों पर जाने के लिए यह एकमात्र रास्ता है। इन सीढ़ियों को ठोस चट्टान से काट कर बनाया गया है। इस किले की दीवारें, बुर्ज और प्रवेश द्वार ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़ों से बनाए गए हैं।

5. चौतर महल का भीतरी प्रांगण, मुदाबिद्री (मारपाडी), 1922: 1384 ईस्वी के मुदाबिदरी के एक अलुपा शासक कुलशेखर-III के शासनकाल से संबंधित एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि राजा बिदिरे यहाँ शासन कर रहा था। यह स्थान स्थानीय प्रमुखों चौटुओं की राजधानी भी थी। यह महल सामान्य बाहरी साज सजा के साथ एक साधारण संरचना की तरह दिखता है। इस महल के अंदर की मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर हैं। इसमें लकड़ी के चार स्तंभों को सुंदरता से तराशा गया है और लकड़ी की छत अत्यधिक अलंकृत है। इस महल में नवानरी-कुंजारा और पंचानरी-नुरगा नामक दो पैतलों को उत्कृष्ट रूप से तराशा गया है।

6. सत्रह जैन मकबरे, मुदाबिद्री (प्रांत), 1922: ये मकबरे जैन पुजारियों के हैं और उनमें से केवल दो ही शेष हैं, बाकी धनी जैन व्यापारियों के हैं। इन ऊँचे सीढ़ीदार पिरामिडों में सावधानीपूर्वक कटे हुए लेटराइट पत्थरों से निर्मित कई मंजिलें शामिल हैं। रोचक तथ्य यह है कि ये कब्रें चीनी पगोडा से भी मिलती-जुलती हैं। ये जैन मकबरे 17वीं शताब्दी ईस्वी के हैं।